न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका(झारखण्ड)

कि0 मी0 वाद सं0–178 / 2014

जगदीश पंडित बनाम रंगू माँझी वगै0

(धारा 144 द0प्र0स0)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
31.5.18	**आदेश** प्रस्तुत कार्रवाई हॅसडीहा थाना के अप्राथमिकी सं0–01 / 14 से प्राप्त द0प्र0स0 की धारा 144 के प्रतिवेदन पर प्रारंभ करने के बिन्दु पर दोनो पक्षों को कारणपृच्छा नोटिश निर्गत किया गया। दोनो पक्षों से कारणपृच्छा प्राप्त। हॅसडीहा थाना के मौजा बरदेही नं0 8 के अनावादी खेसरा सं0 321 रकवा 7 एकड़ भूमि खतियान में परती कदीम बोलकर दर्ज है। दोनो पक्ष बंदोबस्ती प्राप्त होने का दावा करते है। लेकिन अभिलेख में उपलब्ध लेख्यात्मक साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस तरफ किस को बंदोबस्ती प्राप्त है। मामला स्पष्ट रूप से सीमांकन से संबंधित है, जिसका निपटारा द0प्र0स0 की धारा 144 की कार्यवाही में संभव नहीं है। अतः इसे समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। अनु0दण्डा0 अनुमंडल दण्डाधिकारी दुमका।	